न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
अनूप सिंह (आरटीएस)

मि.न.127 / 2019 दिनांक 1.1.2020

सरकार बनाम विनोद

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायलान उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का चतुर्भुज ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2076 में वाके ग्राम चतुर्भुज कोटपूतली के ख0 न0660 / 20.0 है0 किस्म सिवायचक मेंसे 0.60 है0पर विनोद पुत्र रामेश्वर जाति ब्राहम्मण निवासी चतुर्भुज तहसील कोटपूतली ने जोत कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायल उपस्थित आये तथा जबाब पेश किया। जो संलग्न पत्रावली किया गया । गैर सायल ने अपने जबाब में कथन किया है कि खसरा नंबर 660 में सं भूमि 1992 में गैर सायल के भई किशनलाल में नाम अस्थाई आवंटन की गई है। जब से ही उस पर काबिज हैं जिस पर आज फसल खडी है साक्ष्य बतोर दस्तावेज पेश किये जो संलग्न किये गये। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गौर किया तो विवेचन में पाया कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भू– अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच के उपरान्त पेश की गई है तथा गैर सायल द्वारा प्रस्तुत जबाब से स्पष्ट होता है कि गैर सायल का उक्त आराजियात पर अतिक्रमण सिद्व होता है तथा संलग्धन दस्तावेजों से गैर सायल को आवंटन सिद्व नही होता। अतः अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी

अतः गैरसायल विनोद पुत्र रामेश्वर जाति ब्राहम्मण निवासी चतुर्भुज तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम चतुर्भुज तहसील कोटपूतली के ख0 न0 660 / 20.0है0 ,किस्म सिवायचक मे से 0.60 है0 भूमि पर अतिकमी धोषित किया जाता है तथा गैर सायल के जबाब के अनुसार बोई फसल को निलाम किया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप मे लगान राशी 2.40रू. का पचास गुणा 120रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू– अभिलेख

Scanned by CamScanner

निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते फसल निलामी व बेदखली आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली तकमिल दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 1.1.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

Scanned by CamScanner